न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 84/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज, जरिये भागीदार बृजेन्द्र कुमार बजाज, एस.एस. खटकड़ व सुभाष चन्द, बजाज टैक्सटाइल्स, वार्ड नम्बर 12, खण्डेला बाजार, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)। ऋणी व बन्धनकर्ता

2. बृजेन्द्र कुमार बजाज पुत्र ओम प्रकाश बजाज (भागीदार मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज), बजाज टैक्सटाइल्स, वार्ड नम्बर 12, खण्डेला बाजार, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)। सहऋणी

3. एस. एस. खटकड़ पुत्र प्रभात राम खटकड़ (भागीदार मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज), 06 अर्जुन नगर नार्थ, रूप नगर प्रथम के पास, टोंक फाटक, जयपुर। सहऋणी

4. सुभाष चन्द पुत्र जुगल किशोर (भागीदार मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज), 56, सेन्ट्रल कॉलोनी, वार्ड नम्बर 03, मुरलीपुरा, जयपुर। सहऋणी

5. आलोक अग्रवाल पुत्र सीताराम तापड़िया, 815, जाट के कुएं का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर। जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

निर्णय

निर्णय दिनांकः 24 जनवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विनोद खाण्डल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज, बृजेन्द्र कुमार बजाज, एस. एस. खटकड, सुभाष चन्द, आलोक अग्रवाल** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **व्यावसायिक सम्पत्ति जिसका पट्टा नम्बर 121, 122, 123 वार्ड नम्बर 20, स्टेशन रोड़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है जो मैसर्स सालाससर एन्टरप्राईजेज, जरिये भागीदार सुल्तान सिंह खटकड़ के नाम से है जिसका कुल क्षैत्रफल 834.49 वर्गगज है,** को बंधक रखकर **2,50,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **दो करोड़ पच्चास लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **27.08.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.08.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मैसर्स सालासर एन्टरप्राईजेज, बृजेन्द्र कुमार बजाज, एस. एस. खटकड, सुभाष चन्द, आलोक अग्रवाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **व्यावसायिक सम्पत्ति जिसका पट्टा नम्बर 121, 122, 123 वार्ड नम्बर 20, स्टेशन रोड़, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है जो मैसर्स सालाससर एन्टरप्राईजेज, जरिये भागीदार सुल्तान सिंह खटकड़ के नाम से है जिसका कुल क्षैत्रफल 834.49 वर्गगज है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 24 **जनवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner